

287

प्रेषक,
एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

Budget-83
RAJYAT-II-1818
2/8/15

सेवा में,
निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अगिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1635/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से निदेशक, सूटा के निवर्तन पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-हरदोई की निकाम, शाहाबाद की 15 आवासों 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-125/26-उ0प्र0-14-38(आसरा-83)/2013 दिनांक 20.02.2014 द्वारा रु0 44.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु0 22.485 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका से स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 22.485 लाख (रुपये बाईस लाख अड़तालिस हजार पांच सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/का भाग	निकाम	कुल आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2		3	4	5	6
1	हरदोई/शाहाबाद		48	15	44.97	22.485
योग				15	44.97	22.485

(रुपये बाईस लाख अड़तालिस हजार पांच सौ मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यव आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

प्र. प्रेमपती/प्र. राजीव

19/8/15
60m

10
19/8/15

19/8/15

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेंडर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोजिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, 30प्र0, लखनऊ आदरण की वर्षान्त पर अपने लेखों व मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) विष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित दूठा को निर्देशित किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02 शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे हाता जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या 2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।⁴

संख्या-⁷⁵2015/1818(1)/69-1-15, तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, इठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शराना।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अधिकरण, हरदोई।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शराना।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासना।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासना।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।